संलग्न-03 (1)

लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण

विषयः— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् श्री अभिषेक गोयल (बधिमा लाईमस्टोन माईन), ग्राम्— बधिमा, तहसील—राजपुर, जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज (छ.ग.) स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता—64,837.5 टन (25,935 घनमीटर) प्रतिवर्ष, कुल क्षेत्रफल—2.196 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु तारीख 02/08/2022 को स्थान— ग्राम पंचायत भवन, बधिमा, तह.—राजपुर, जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :—

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् श्री अभिषेक गोयल (बधिमा लाईमस्टोन माईन), ग्राम— बधिमा, तहसील—राजपुर, जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज (छ.ग.) स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता—64,837.5 टन (25,935 घनमीटर) प्रतिवर्ष, कुल क्षेत्रफल—2.196 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् लोक सुनवाई श्री शशि कुमार चौधरी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, राजपुर, जिला—बलरामपुर—रा.गंज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान श्री प्रकाश कुमार रबड़े, क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर, श्री अभिषेक गोयल, परियोजना प्रस्तावक, श्री बुद्धदेव पाण्डेय एवं श्री जगबंधु बिंसोई, परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सरपंच, जन प्रतिनिधि तथा आसपास के ग्रामवासी की उपस्थिति में तारीख 02/08/2022 को समय—पूर्वान्हः 11:00 बजे, स्थान— ग्राम पंचायत भवन, बधिमा, तह.—राजपुर, जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज (छ.ग.) में लोक सुनवाई प्रारम्भ हुई। लोक सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन के साथ आरंभ की गई। लोक सुनवाई प्रारंभ के समय लगभग 61 जनसामान्य उपस्थित हुए तथा लोक सुनवाई के दौरान लगभग 150 जनसामान्य उपस्थित हुए। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक सुनवाई प्रारंभ के साथ ही उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रकिया आरंभ की गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अंबिकापुर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से लोक सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु लोक सुनवाई के दौरान मास्क का उपयोग किया जाना व समय—समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करने बावत् अनुरोध किया गया। साथ ही ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के तहत् आवेदक द्वारा किये गये आवेदन, परियोजना से संबंधित

रखे गये ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, समरी तथा लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशन की जानकारी के संबंध में अवगत कराया गया कि श्री अभिषेक गोयल (बघिमा लाईमस्टोन माईन), ग्राम– बघिमा, तहसील–राजपुर, जिला– बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–64,837.5 टन (25,935 घनमीटर) प्रतिवर्ष, कुल क्षेत्रफल–2.196 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति, छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावास भवन सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) द्वारा टी.ओ.आर.जारी दिनांक 04/12/2021 के परिपालन में उद्योग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई कराने के सम्बंध में मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर मे परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मुख्यालय में प्राप्ति दिनांक 12/05/2022 के परिपेक्ष्य में मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 20/05/2022 के माध्यम से खदान की लोकसुनवाई कराने हेतु निर्देश दिये गये। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), बलरामपुर, जिला–बलरामपुर–रा. गंज के पत्र दिनांक 21/06/2022 के द्वारा खदानों की लोकसुनवाई की तारीख 02/08/2022 को स्थान– ग्राम पंचायत भवन, बघिमा, तह.–राजपुर, जिला– बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) में नियत की गई। परियोजना की ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार की हिन्दी व अंग्रेजी भाषा की प्रतियां तथा सीडी सहित अवलोकनार्थ डॉयरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, साईंटिस्ट 'डी', एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, कार्यालय कलेक्टर, बलरामपुर, जिला–बलरामपुर–रा.गंज, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलरामपुर, जिला–बलरामपुर–रा.गंज,अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) राजपुर, जिला–बलरामपुर–रा.गंज (छ.ग.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजपुर, जिला– बलरामपुर –रा.गंज, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बलरामपुर,जिला–बलरामपुर–रा.गंज,उपसंचालक/खनि अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), बलरामपुर, जिला–बलरामपुर–रा.गंज, सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत– बघिमा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रा.गंज (छ.ग.), सदस्य सचिव, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापुर, तह.–अंबिकापुर, जिला– सरगुजा (छ.ग.) में रखी गई थी। लोक सुनवाई सूचना का प्रकाशन भारत सरकार के

राजपत्र में प्रकाशित ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपालन में दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपालन में दिनांक 29/06/2022 को मुख्य राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र 'अमृत इंडिया' के दिल्ली संस्करण एवं एक क्षेत्रीय समाचार पत्र 'पत्रिका' के बिलासपुर संस्करण में परियोजना के संबंध में सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी एवं आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय देते हुए "सर्व संबंधितों को सूचना" का प्रकाशन कराया गया। जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को भी प्रेषित की गई।

2. अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा0), राजपुर द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य के समक्ष परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया।
3. परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री बुद्धदेव पाण्डेय द्वारा परियोजना के संबंध में निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई :-

- **श्री बुद्धदेव पाण्डेय, परियोजना के पर्यावरण सलाहकार/प्रतिनिधि** :- श्री अभिषेक गोयल (बघिमा लाईमस्टोन माईन), ग्राम-बघिमा, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-64,837.5 टन (25,935 घनमीटर) प्रतिवर्ष, कुल क्षेत्रफल-2.196 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् लोक सुनवाई का आयोजन किया गया जा रहा है। परियोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक गोयल की बघिमा चूना पत्थर खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत् आज दिनांक 02/08/2022 को आयोजित लोकसुनवाई कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कुल आवेदित क्षेत्र - 2.196 हेक्टेयर खसरा नं. 849/12, 849/54, 849/43, 849/33, 849/39, 849/34, 849/35, 849/48, 849/41, 849/32 ग्राम-बघिमा, तहसील-राजपुर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ खदान की वार्षिक उत्पादन क्षमता - 64,837.5 टन प्रति वर्ष कुल क्लस्टर क्षेत्र- 8.868 हेक्टेयर, अध्ययन काल-अक्टूबर से दिसम्बर 2021, लोकसुनवाई का आयोजन 'ग्राम पंचायत भवन' बघिमा, तहसील-राजपुर , जिला -बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) में दिनांक 02/08/2022 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रिय कार्यालय अंबिकापुर और जिला प्रशासन बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा संयुक्त रुप से किया गया है। जन सुनवाई की प्रक्रिया का विवरण- 14 सितंबर 2006 के ईआईए नोटिफिकेशन और इसके अधिन किए गए संशोधनों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक लीज कलस्टर क्षेत्र बी -1 श्रेणी में आता है, जिसके अंतर्गत आज आयोजित जनसुनवाई का कार्यक्रम पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया का आवश्यक भाग है। जन सुनवाई की जानकारी को 2 समाचार पत्रों मे प्रकाशित किया गया है। जन सुनवाई संपन्न होने की नियत तिथि एवं स्थान की सूचना को सार्वजनिक किया गया। आदेशानुसार कोटवार ग्राम पंचायत ग्राम-बघिमा द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थानों पर मुनादी करते हुए जनसुनवाई का दिन समय

(4)

और स्थान को मुनादी करते हुए जनसामान्य को सूचना दी गयी। प्रस्तावित परियोजना के आधार आशय पत्र दिनांक 01/10/2020 जारी किया गया है। प्रस्तावित लीज की अवधि 30 वर्ष है। भूमि का प्रकार–गैर–वन निजी भूमि, परियोजना की कुल लागत– रूपये 71,12,000/– है। अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार खदान की संक्षिप्त जानकारी आवेदित क्षेत्र से संवेदनशील संरचनाओं की दूरी मानकों से अधिक है। खदान के रिजर्वस का विवरण –कुल एरिया–2.196 हे., जियोलॉजिकल रिजर्व्स– 12,90,150 टन, कुल ब्लॉकेज– 6,28,262.5 टन, माइनेबल रिजर्व्स (2–3)– 6,61,887.50, माइन लॉस (4 x 5%) 33,094.38 टन, रिकव्हरेबल रिजर्व्स (4–5)– 6,28,793.13 टन है। अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन कार्य किया जायेगा। प्रस्तावित खदान का उत्पादन प्रथम वर्ष से दशम वर्ष तक कुल 6,28,793.13 टन होगा। आवेदित खदान के लिए जल 4.85 किली. प्रतिदिन, स्त्रोत– आवश्यकतानुसार नियमानुसार बोरवेल से जल की आपूर्ति की जायेगी एवं पानी निकट ग्राम से भी लिया जायेगा। जनशक्ति की आवश्यकता–19 व्यक्ति– छत्तीसगढ़ शासन की रोजगार नीति के अनुसार एवं योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जायेगा। खनन मशीनें एवं उपकरण– खुदाई/लोडर, डम्पर/टिपर, ट्रैक्टर, स्प्रिंकलर के साथ पानी का टैंकर, पानी पंप, रॉक ब्रेकर, कंप्रेशर, जैक हथौड़ा है कुल मशीनों एवं उपकरणों की संख्या 10 होगी। जलवायु स्थिति (अक्टूबर 2021 से दिसम्बर 2021) में वायु, ध्वनि, जल एवं मृदा सभी के विश्लेषण परिणाम निर्धारित मानकों के भीतर पाए गये। वायु, जल, मृदा, स्वास्थ्य, वनस्पति एवं जीव प्रबंधन की जानकारी दी गई। लोडिंग और हौल रोड़ पर पानी का छिडकाव किया जायेगा। ट्रकों को तारपोलिन द्वारा ढका जाएगा। ओवर लोडिंग को रोका जायेगा। सभी परिवहन साधनों के लिए वैध पी.यू.सी. होना सुनिश्चित किया जाएगा। खदान की सीमा में एवं नो माइनिंग जोन में कुल 933 पौधे लगाए जायेंगे। वाहनों की आवाजाही और लोडिंग आदि के कारण धूल के उत्सर्जन प्रभाव के आंकलन के लिए प्रति छः माह निगरानी की जायेगी और प्रदूषण को कम करने के उपाय किए जायेंगे, जहां एक्सपोजर अनुमेय सीमा से अधिक है, नियंत्रण, प्रबंधन उपाय या अंतिम उपाय के रूप में, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के प्रावधान को लागू किया जायेगा। लोडिंग और हौल रोड़ पर पानी का छिडकाव किया जायेगा। डीजल इंजनों का नियमित रख–रखाव। कच्ची सड़कों एवं खनन क्षेत्र के चारों ओर हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा। सतही जल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। सतही पानी को डायवर्ट करने के लिए गारलैंड ड्रेन का निर्माण किया जावेगा। खनिज में कोई विषैला तत्व नहीं होता है, इस प्रकार भूजल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भूजल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी क्योंकि खनन 20 मीटर जल स्तर की गहराई तक सीमित रहेगा। खनन कार्य के दौरान कोई अपशिष्ट जल उत्पन्न नहीं होगा। खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किए जाएंगे। खनन गतिविधि से पहले शीर्ष

मिट्टी को लीज क्षेत्र में परिभाषित, परिमार्जित और संग्रहित किया जायेगा और इसका उपयोग वृक्षारोपण के उद्देश्य से किया जायेगा। वृक्षारोपण के द्वारा पट्टो की सीमा को कवर किया जावेगा। जंगली और घरेलू पशुओ के गिरने या खिसकने के खतरे को कम करने के लिए खनन खदानों में चारों ओर सें तार फेसिंग किया जावेगा। ऑन–साइट प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, और आपात स्थिति में कर्मचारियों को स्थानीय समुदाय तक पहुंचाया जायेगा। ध्वनि गुणवता प्रबंधन–ध्वनि स्तर को कम करने के लिए वाहनों एवं मशीनों का सही रख–रखाव किया जावेगा। मशीनों का उचित रख–रखाव, आइलिंग एवं ग्रीसिंग की जायेगी। सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगें। ध्वनि के प्रसार को कम करने के लिए कच्ची सड़कों एवं खनन क्षेत्र के चारों ओर हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा। आवधिक ध्वनि परीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। खनन उपकरण पर काम करते समय COVID–19 को देखते हुए कान के मफ, मास्क और सभी आवश्यक पीपीई प्रदान किए जायेंगे। फ्लाई राक व भू कंपन को नियंत्रित करने हेतु पंजीकृत ब्लास्टिंग ठेकेदार से नियंत्रित वातावरण में नियंत्रित साइंटिफिक विस्फोट की पध्दति अपनाई जावेगी । मशीनों का उचित रख–रखाव, आइलिंग एवं ग्रीसिंग की जावेगी। हरित पट्टिका विकास–खदान कि सीमा क्षेत्र में कुल 933 स्थानीय प्रजाति के पौधें जैसे जामुन, आम, कहवा, करंज, सिसम, बरगद, पीपल आदि पौधे लगाए जायेंगे एवं सुरक्षा के लिए फेंसिंग की जावेगी । सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव–परियोजना से समिपस्थ कृषि भूमि को कोई नुकसान नही है। परिणामतः परियोजना गतिविधि से कोई भी अन्य भूमि या मानव बस्ती प्रभावित नही होगी। परियोजना के शुरु होने के साथ लोगों द्वारा अनुमानित किए जाने वाले प्रभाव की तुलना में बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव होगा। आस–पास के निवासियों को बेहतर रोजगार और अवसर के साथ रखा जावेगा, जिससे भूमिहीन और श्रमिक वर्ग के लिए अधिक आजीविका का विकल्प पैदा होगा। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मानकों के साथ परिवहन और संचार सुविधा को क्षेत्र के आस–पास विकसित किया जायेगा। जिसका स्थानीय निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। खनन कार्य से स्थानिय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिलेगा, जिससे निवासरत् लोगों का जीवनस्तर सामान्य से बेहतर होगा। आसपास के गांवों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा की सुविधा जैसे विकास कार्य लोगों की आवश्यकता के अनुसार योजना बनाई जायेगी, जिसे ग्राम समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जायेगी। आपदा प्रबंधन योजना–एक योग्य खान प्रबंधक के प्रबंधन नियंत्रण और निर्देशन में पूरा खनन कार्य किया जायेगा। डीजीएमएस के स्थायी आदेश, मॉडल स्थायी आदेश और परिपत्र जारी करता रहा है। जिनका पालन आपदा के मामले में खान प्रबंधन द्वारा किया जावेगा। सभी खनन कार्यों के दौरान सभी सुरक्षा सावधानियों और धातु युक्त खान विनियम 1961 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। खदान के किनारों की उचित रुप से फेंसिंग की जावेगी। कामकाज के अंतिम

चरण में (एक रेलिंग जो 0.50 मी. मोटी एवं 1.5 मीटर ऊँची) पक्की दीवार के साथ घेरा जायेगा। खनन पिट से पानी बाहर निकालने के लिए उच्च क्षमता वाले पंपों का प्रावधान। बरसात के मौसम में खदान के गड्ढे में सतही जल के किसी भी प्रवाह से बचने के लिए माला नालियों और मिट्टी के बांधों की जाँच और नियमित रख–रखाव। खुदाई की जगह और बेंच की ऊचाई और चौड़ाई खनन नियमों के अनुसार उचित रुप से बनाए रखी जायेगी। उत्खनन ऊपर से नीचे की ओर किया जावेगा। किसी भी तरह के ओरवहैंड की अुनमति नही होगी। अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। भू–वैज्ञानिक दशा जैसे स्लीप, फाल्ट आदि के अस्तित्व में काम करते समय विशेष ध्यान और अपेक्षित सावधानी बरती जायेगी। श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेंचों का नियमित रख–रखाव किया जावेगा। कर्मचारियों को सभी सुरक्षा उपकरण जैसे सेफ्टी बूट, हेलमेट, गॉगल्स आदि का प्रावधान उपलब्ध कराया जाता है और उनके उपयोग के लिए नियमित जांच की जावेगी। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणो में (पी.पी.ई) को कार्यस्थल पर श्रमिकों को प्रदान किया जावेगा । विद्युत उपकरणों का उचित रख–रखाव एवं रात्रि के समय प्रकाश की उचित व्यवस्था खनन स्थल पर की जावेंगी। रात्रिकालिन उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा। व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा–माइन्स नियम, 1956 के अनुसार प्रारंभिक चिकित्सा जांच और श्रमिकों की आवधिक चिकित्सा जांच आयोजित की जायेगी। सफाई सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जायेगी। सभी कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सुविधाएँ एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय अपनाये जायेंगे। श्रमिकों को सभी आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा कक्ष और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खदानों में उचित अग्निशमन सुविधाओं से सुसज्जित किया जायेगा। परियोजना से लाभ–निर्माण के लिए उपयोगी आर्थिक संसाधन उत्पन्न करना। रोजगार पैदा करना, अध्ययन क्षेत्र के लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार, भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार, सामाजिक अवसंरचना में सुधार, रोजगार क्षमता में वृद्धि, खनन के दौरान और बाद में हरित आवरण में वृद्धि, अवैध खनन की रोकथाम, राजकोष में योगदान, खान पट्टा क्षेत्र के आसपास के निवासी मुख्य रूप से कृषि प्रधान हैं। रोजगार गतिविधियों के अवसर सृजित होंगे और खनन स्थायी आजीविका के स्त्रोत के रूप में काम करेगा। खदान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार सृजित करेगी। अतिरिक्त, परिवहन जैसे कुछ कार्यो को अनुबंध पर आउटसोर्स किया जाएगा। परियोजना में सीएसआर मद में कुल राशि रू. 149,000/– रखा गया है। व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना–संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत रोड मे वृक्षारोपण एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी एवं पर्यावरण की निगरानी के साथ–साथ ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि के लिए भी संयुक्त रूप से पृथक बजट बनाया जायेगा। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कलस्टर परियोजनाओं के क्रियाकलापों के प्रारंभ होने के साथ ही आसपास के क्षेत्र में एवं स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और बुनियादी ढांचे के विकास का

अवसर प्राप्त होगा। कलस्टर परियोजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रोजगार का सृजन होने से क्षेत्र के निवासियों को उपलब्ध संसाधनो के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह कलस्टर परियोजनाओं से राज्य के राजकोष में राजस्व मे भागीदारी के साथ–साथ राज्य के वित्तीय विकास में अपना अंशदान एवं योगदान भी देगा। जो राज्य शासन के वित्तीय विकास में क्षेत्र निवासियों की भागीदारी साबित करेगा।

4. अनुविभागीय अधिकारी (रा0), राजपुर द्वारा लोक सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से कहा कि पर्यावरण जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासी आप सभी से इस परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव या जो भी विचार रखना चाहते हैं वे लिखित में या मौखिक तौर पर आप सुझाव, विचार कर सकते हैं आप लोग के सुझाव आमंत्रित हैं।

5. तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वक्ता का नाम	पता	कथन
1	श्री नरेन्द्र जायसवाल	ग्राम–बघिमा	क्रेशर/खदान खुलने से कोई आपत्ति नहीं है, इससे हम लोगों को गांव में रोजगार मिलता है। लीज देने में कोई आपत्ति नहीं है।
2	श्री भोलाशंकर	ग्राम–बघिमा	गांव में जो पत्थर प्लांट खुल रहा है उससे गांव वालों को लाभ ही होगा। क्रेशर से खेती में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सहमत हूं।
3	श्री कन्हैया पाठक	ग्राम–बघिमा	क्रेशर चल रहा है, उससे गांव वालों को रोजगार मिलेगा, कोई आपत्ति नहीं है।
4	श्री विष्णु अग्रवाल	ग्राम–बघिमा	क्रेशर चलने से या लीज मिलने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे गांव का विकास होगा।
5	श्री अरविन्द	ग्राम–बघिमा	गांव में क्रेशर खुल रहा है उससे कोई आपत्ति नहीं है, हमको और गांव के आदमी को पूरा रोजगार मिलेगा, कोई आपत्ति नहीं है।
6	श्रीमती रेखा सांडिल्य (जनपद सदस्य)	ग्राम–बघिमा	इसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसमें रोजगार मिलेगा सभी को।
7	श्रीमती नमनी देवी	ग्राम–बघिमा	क्रेशर लगने से कोई आपत्ति नहीं है।

(8)

8	श्री नारायण पोर्ते	ग्राम–बधिमा	क्रेशर से कोई दिक्कत तो नहीं है, इन लोग जहां जरुरत रहता है वहां मिट्टी नहीं डालते है, पेड के नीचे डाल देते है परेशानी पूरा गांव वालों को होता है, ये सब बात माने और मेरा बात भी माने।
9	श्रीमती सुमन जायसवाल (मितानिन)	ग्राम–बधिमा	कोई आपत्ति नहीं है।

7 उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अनुविभागीय अधिकारी (रा0), राजपुर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अनेक बार अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ, तब अनुविभागीय अधिकारी (रा0), राजपुर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण/जवाब हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

8 परियोजना प्रस्तावक की ओर से **श्री बुद्धदेव पाण्डेय तथा परियोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक गोयल** द्वारा परियोजना के सम्बंध में लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया, जो कि निम्नानुसार है :–

01. रोजगार के संबंध में बताया गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा तथा गांव के वाहन मालिकों के वाहन को किराये पर लेकर रोजगार दिया जायेगा।

02. वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु बताया गया कि सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करके प्रदूषण को कम किया जायेगा। पेय जल तथा शौचालय हेतु जल व्यवस्था के संबंध में बताया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्पोरेट इंवायरमेंट (सी.ई.आर.) मद के अनुसार रू. 1,49,000/–का रैनवाटर हार्वेस्टिंग परियोजना लगाई जायेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम समिति द्वारा समय समय पर जो निर्णय लिया जायेगा तथा जिम्मेदारी सौंपी जायेगी उसका पालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक के जवाब उपरांत अनुविभागीय अधिकारी (रा0), राजपुर द्वारा ग्रामवासियों के शांतिपूर्वक पर्यावरण जनसुनवाई कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया गया, ग्रामवासियों के द्वारा टीका टिप्पणी सुझाव प्रस्तुत किया गया। सड़क, पानी की इस गांव में समस्या है। इस पर भी पहल किया

C:\Users\user\Documents\SKD\tiwari sir\PUBLIC HEARING\PH Abhisek.docx

जायेगा। परियोजना प्रस्तावक के द्वारा भी सभी बातों को बताया गया, आने वाले दिनो में भी ग्रामवासियों की जो भी समस्या रहेगा। उसका निराकरण प्रशासन के द्वारा और परियोजना प्रस्तावक के माध्यम से भी उसका हल करने का प्रयास किया जायेगा, निश्चित रूप से जो समस्या रहेगा, समय समय पर उसका हल किया जायेगा। आप सभी लोगों ने पर्यावरण जन सुनवाई में सहयोग दिया, भाग लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद ज्ञापन के साथ लगभग अपरान्ह **01:15** बजे अनुविभागीय अधिकारी (रा0), राजपुर द्वारा लोकसुनवाई की कार्यवाही समापन की घोषणा की गई।

9. लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां **01** प्राप्त हुई है **(परिशिष्ट–01)**। लोक सुनवाई के दौरान उक्तानुसार **09** व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई **(परिशिष्ट–02)**। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान लगभग **150** व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें से उपस्थिति पत्रक पर कुल **61** व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं **(परिशिष्ट–03)**। आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी के साथ फोटोग्राफी की गई।

सलंग्न–उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
अंबिकापुर, (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा0),
राजपुर, जिला–बलरामपुर–रा.गंज (छ.ग.)

C:\Users\user\Documents\SKD\tiwari sir\PUBLIC HEARING\PH Abhisek.docx

परिशिष्ट-1 (10)

क्रेशर लिज हेतु नियम व सर्त

1 बंद खदानों बोल्डर गड्ढा को सबसे पहले मिट्टी भरकर समतल करेंगे.

2. नियमानुसार गड्ढा करेंगे उससे ज्यादा गड्ढा नहीं करेंगे और बोल्डर निकासी पश्चात मिट्टी भरते जाएंगे.

3 अपना लीज एरिया को सर्वप्रथम गांव वालों के समक्ष नाप कराकर चारों तरफ से घेरावा करेंगे.

4 सभी क्रेशर वाले सूट लगवाएं वह पानी फुआरा लगाएं जिससे धूल ना उड़े क्रेशर में पेड़ पौधा लगाएं.

5 शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा नहीं करेंगे.

6 ब्लास्टिंग कन्ट्रोल में करेंगे और एक बार में 50 ब्लास्टिंग से ज्यादा नहीं करेंगे

7 क्रेशर प्लांट दिन में चलाया जाएगा.

8 सभी क्रेशर वाले अपने स्टाफ के लिए शौचालय निर्माण करवाएं.

9 सभी क्रेशर वाले मिलकर रोड को बनवाएं मेन रोड से क्रेशर स्थल तक सभी क्रेशर वाले पानी का छिड़काव करें.

10 सभी क्रेशर वाले अपने लिए एरिया का मिट्टी खोदकर अपने एरिया में रखें अन्यत्र इधर उधर नहीं फेंके.

11 ग्राम पंचायत की धरोहर को नष्ट ना करें जैसे श्मशान भूमि देव स्थल अन्य पूजा पाठ का स्थल.

12 लीज की अवधि नियमसनुसार की होनी चाहिए.

02/08/22

क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.) क्र. 758 दि. 2/8/22

आवेदक

देवशरण साण्डिल्य

S/O मोतीलाल

लोकसुनवाई का उपस्थिति पत्रक

श्री अभिषेक गोयल (बधिमा लाईमस्टोन माईन), ग्राम–बधिमा, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–64,837.5 टन (25935 घनमीटर) प्रतिवर्ष, कुल क्षेत्रफल–2.196 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **अनुविभागीय अधिकारी (रा0), राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) की अध्यक्षता में दिनांक 02/08/2022, दिन–मंगलवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे से स्थान–ग्राम पंचायत भवन, बधिमा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का** ~~उपस्थिति~~ वक्ता **पत्रक :–**

क्र.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री नरेन्द्र जायसवाल	बधीमा	[signature]
2.	श्री भोला चंद	बधीमा	भोलाचन्द
3.	श्री कन्हैया [illegible]	बधीमा	[signature]
4.	श्री विष्णु जायसवाल	बधीमा	[signature]
5.	श्री अरविंद	बधीमा	अरविंद
6.	कु.श्री रेखा [illegible] ज.प. सदस्य	बधीमा	Rekha
7.	श्रीमती नमनी देवी	बधीमा	नमनी
8.	श्री नारायण [illegible]	~~[illegible]~~ बधीमा	नारायनराम
9.	श्रीमति सुमन जायसवाल मितानिन	बधीमा	सुमन
		[signature]	
	[signature]	[signature] 02/08/22	

02/08 [signature] 02/08/22

A (12)

प्रस्तावित बधिमा माईन्स साईट

क्र.	नाम पता		
01	श्री नरेन्द्र जायसवाल, ग्राम बधिमा	[signature]	स्वीकार [illegible]
02	श्री भोलाशंकर, बधिमा	भोलाशंकर	स्वीकार
03	श्री कन्हैया पाठक, बधिमा	[signature]	स्वीकार [illegible]
04	श्री विजय अग्रवाल	[signature]	भूमि मिल [illegible] को विकास [illegible]
05	श्री अरविंद शर्मा	अरविन्द	गांव के [illegible] नहीं है।
06	श्रीमती रेखा आदिल्य, जनपद सदस्य	Rekha	कोई आ[illegible]
07	श्रीमती ममता देवी, बधिमा	ममता	स्वीकार [illegible]
08	श्री नारायण पोर्ते, बधिमा	नारायण	स्वीकार से [illegible] काम देते हैं।
09	श्रीमती सुमन जायसवाल, बधिमा	सुमन	कोई आपत्ति
10			

JD LAM (TD)

02/8/22

क्र. 761 दि. 02/8/22

(12) B

दिनाँक 02/08/2022 समय 11:00 बजे पूर्वा-5

कथन	हस्ता

कोई आपत्ति नही है इससे रोजगार मिलता है

कोई प्रभाव नही पड़ रहा है। सहमत हुं

रहा है रोजगार मिलेगा कोई आपत्ति नही है

से कोई आपत्ति नही है रोजगार

होगा।

को पुरा रोजगार मिलेगा कोई आपत्ति

त्ति नही है।

से कोई आपत्ति नहीं है।

पत्ति नही है। ये मोर बात माने पेड को गड़दे मे

हुं।

परिशिष्ट-3 18

लोकसुनवाई का उपस्थिति पत्रक

श्री अभिषेक गोयल (बधिमा लाईमस्टोन माईन), ग्राम–बधिमा, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–64,837.5 टन (25935 घनमीटर) प्रतिवर्ष, कुल क्षेत्रफल–2.196 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **अनुविभागीय अधिकारी (रा0), राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) की अध्यक्षता में दिनांक 02/08/2022, दिन–मंगलवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे से** स्थान–ग्राम पंचायत भवन, बधिमा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का उपस्थिति पत्रक :–

क्र.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	रेखा	बधिमा	Rekha
2	सुरेश	बधिमा	Suresh
3	पारस	बधिमा	पारस
4	अनुकसपा	बधीमा	अनुकसपा
5	अंजीत	बधीमा	[illegible]
6	रतवासिंह	बधीमा	रतवासिंह
7	हिरासाय	बधीमा	हिरासाय
8	जगरनाथ	बधीमा	जगरनाथ
9	नारायनराम	बधिमा	नारायनराम
10	आनन्दसाय	बधिमा	आनन्द
11	पवन	बधिमा	पवन
12	अनुक	बधिमा	अनुक

अ.प्र.अ.(रा.) 1/2 02/08/22

कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.) क्र. 760 दि. 02/8/22

लोकसुनवाई का उपस्थिति पत्रक

श्री अभिषेक गोयल (बधिमा लाईमस्टोन माईन), ग्राम–बधिमा, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–64,837.5 टन (25935 घनमीटर) प्रतिवर्ष, कुल क्षेत्रफल–2.196 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **अनुविभागीय अधिकारी (रा0), राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) की अध्यक्षता में दिनांक 02/08/2022, दिन–मंगलवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे से स्थान–ग्राम पंचायत भवन, बधिमा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का उपस्थिति पत्रक :–**

क्र.	नाम	पता	हस्ताक्षर
13	नामनी	बधिमा	नामनी
14	सुमन	बधिमा	सुमन
15	सकुंत्री देवी	बधिमा	सकुंत्री देवी
16	तारा	बधिमा	तारा

लोकसुनवाई का उपस्थिति पत्रक

श्री अभिषेक गोयल (बधिमा लाईमस्टोन माईन), ग्राम–बधिमा, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–64,837.5 टन (25935 घनमीटर) प्रतिवर्ष, कुल क्षेत्रफल–2.196 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **अनुविभागीय अधिकारी (रा0), राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) की अध्यक्षता में दिनांक 02/08/2022, दिन–मंगलवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे से स्थान–ग्राम पंचायत भवन, बधिमा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का उपस्थिति पत्रक :–**

क्र.	नाम	पता	हस्ताक्षर
17	रामसायराम	ग्रा०पं० ईस्सल बधिमा	[signature]
18	हिरालाल बेहर मंगलीराम	–।– बधिमा –।– बधिमा	[signature] मंगलीर
19			
20	नानराम	बधिमा	नानराम
21	भोलाचन्द	बधिमा	भोलाचन्द
22	बंहालराम	बधिमा	बहालराम
23	शंकर	बधिमा	शिकार
24	सेटल	बधिमा	[thumb impression]
25	कालिया	बधिमा	[signature]
26	प्रविणा	बधिमा	[signature]
27	मनीराम	बधिमा	मनीराम
28	महेन्द्र आलम	बधिमा	[signature]

लोकसुनवाइ का उपास्थात पत्रक

(16)

श्री अभिषेक गोयल (बधिमा लाईमस्टोन माईन), ग्राम–बधिमा, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–64,837.5 टन (25935 घनमीटर) प्रतिवर्ष, कुल क्षेत्रफल–2.196 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **अनुविभागीय अधिकारी (रा0), राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) की अध्यक्षता में दिनांक 02/08/2022, दिन–मंगलवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे से स्थान–ग्राम पंचायत भवन, बधिमा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का उपस्थिति पत्रक :–**

क्र.	नाम	पता	हस्ताक्षर
29	मो० आबिद हुसैन	बधिमा	मो० आबिद हुसैन
30	विशाल सोनी	आदिवासी बधिमा	[signature]
31	शिवराज	बधिमा	[signature]
32	मुकेश कुमार	बधिमा	[signature]
33	अरविन्द	बधिमा	अरविन्द
34	विष्णु जायसवाल	बधीमा	[signature]
35	पूर्ण जायसवाल	बधिमा	[signature]
36	कमेश्वर	बधिमा	[signature]
37	नरेन्द्र जायसवाल	बधिमा	[signature]
38	Kanhaiya	बधिमा	[signature]
39	सुनिल कुमार	बधिमा	सुनिल कुमार
40	मनाराम	बधिमा	मनाराम

लोकसुनवाई का उपस्थिति पत्रक

श्री अभिषेक गोयल (बधिमा लाईमस्टोन माईन), ग्राम–बधिमा, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–64,837.5 टन (25935 घनमीटर) प्रतिवर्ष, कुल क्षेत्रफल–2.196 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **अनुविभागीय अधिकारी (रा0), राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) की अध्यक्षता में दिनांक 02/08/2022, दिन–मंगलवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे से स्थान–ग्राम पंचायत भवन, बधिमा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का उपस्थिति पत्रक :–**

क्र.	नाम	पता	हस्ताक्षर
41	दशरथ दास	बधिमा	दशरथ
42	रामप्रकाश	बधिमा	रामप्रकाश
43	बिदेश	बधिमा	बिदेश
44	फुलेश्वरी	बधिमा	
45	तिलो	बधिमा	
46	सोमनती	बधिमा	
47	बुधनी	बधिमा	
48	देवनाथ साहित्य	बधिमा	[illegible]
49	मनी राम	बधिमा	मनीराम
50	अनुक	बधिमा	अनुक
51	रामअचल	बधिमा	रामअचल
52	आनन्द राय	बधिमा	आनन्द

लोकसुनवाई का उपस्थिति पत्रक

श्री अभिषेक गोयल (बधिमा लाईमस्टोन माईन), ग्राम–बधिमा, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–64,837.5 टन (25935 घनमीटर) प्रतिवर्ष, कुल क्षेत्रफल–2.196 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **अनुविभागीय अधिकारी (रा0), राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) की अध्यक्षता में दिनांक 02/08/2022, दिन–मंगलवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे से स्थान–ग्राम पंचायत भवन, बधिमा, तह.–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का उपस्थिति पत्रक :–**

क्र.	नाम	पता	हस्ताक्षर
53	रघुन राम	बधिमा	रघुन
54	अनुक खांडिय	बधिमा	अनुक
55	बिजय	बधिमा	बिजय
56	दुर्गा	बधिमा	दुर्गा राम
57	हनुमान [illegible]	बधिमा	[signature]
58	हिरासाय	बधिमा	हिरासाय
59	जगन्नाथ	बधिमा	जगरनाथ
60	रामप्रकाश	बधिमा	रामप्रकाश
61	संतोष	बधिमा	संतोष
	[signature] 2.8.22	[signature] 02/08/22	